सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2021 / 28 दर्ज तिथिः—26.01.2021

1. डूंगरा वल्द विरधा
2. आईदान वल्द विरधा
3. जेठा वल्द खैराज
   जाति जाट निवासी अणखिया तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

............प्रार्थीगण

बनाम

1. पनाराम पुत्र नथाराम
2. हेमाराम पुत्र नथाराम
3. खम्मादेवी पत्नी नथाराम
4. जाति जाट निवासी अणखिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
5. शाखा प्रबन्धक बी0 सी0 सी0 बी0 शाखा नोखड़ा
6. शाखा प्रबन्धक बालोतरा सहाकारी भूमि विकास बैक लि0 बालोतरा
7. तहसीलदार नोखडा

..............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालूराम
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—17.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 747 / 138 / 124.14 बीघा मौजा अणखिया तहसील नोखड़ा प्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी आराजी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 138 / 179.19 बीघा मौजा अणखिया तहसील नोखड़ा प्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 746 / 138 / 42.09 बीघा मौजा अणखिया तहसील नोखड़ा अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की खातेदारी आराजी है।
- कि उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 138 में से सहायक कलक्टर बाड़मेर के निर्णय से पृथक होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खसरान कायम हुए हैं। जिन पर वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे अनुसार काबिज काश्त हैं।
- कि विभाजन के बाद मुताबिक निर्णय व डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज सही किया गया। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा विभक्त खसरों की तरमीम लट्ठा ट्रैस में गलत अंकित कर दी। प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के खसरा संख्या 747 / 138 की तरमीम कब्जे व रिकॉर्ड से करीबन 15 बीघा कम कर निर्णय डिक्री से भिन्न एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 के रकबे की तरमीम कब्जे व रिकॉर्ड से करीबन 15 बीघा ज्यादा कर दी गई। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।
- कि प्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 747 / 138 एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 के खसरा संख्या 746 / 138 की तरमीम न्यायालय निर्णय से विभाजन, कब्जा काश्त व परिशिष्ट—बी के अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1844 दिनांक 10.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—बी के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—बी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

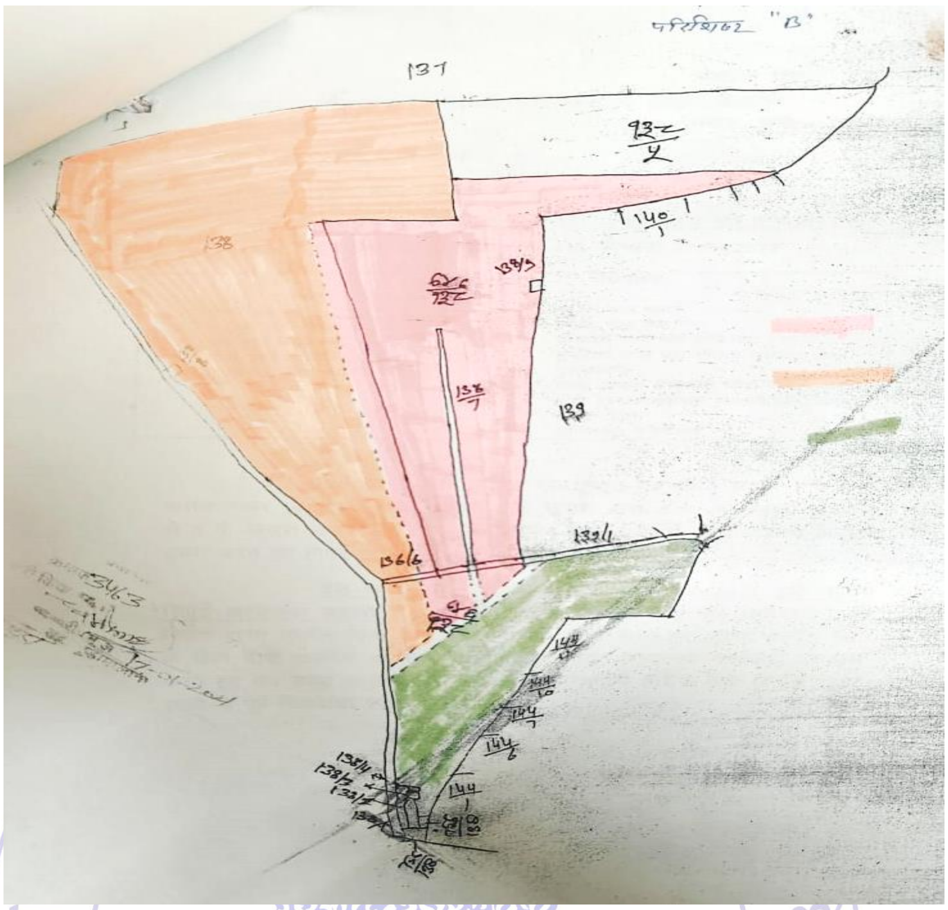

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1786 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारों के मध्य सहमति प्रदान की गई है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1786 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

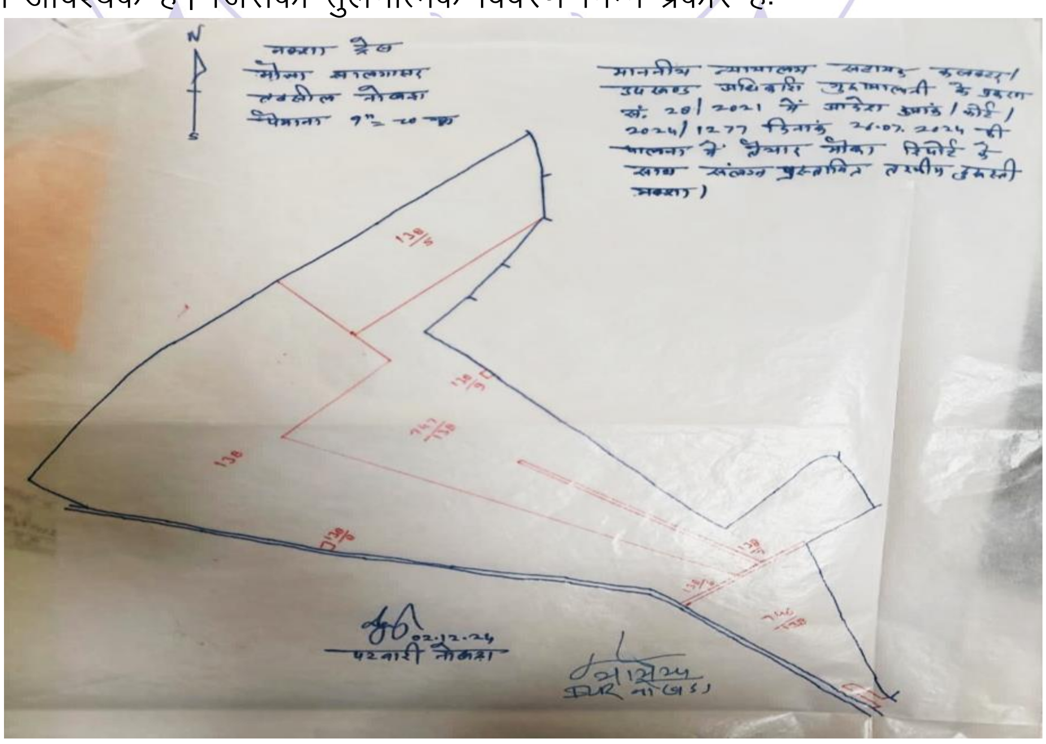

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1844 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

1. कि खसरा संख्या 138, 746/138, 747/138 का तितम्मा वर्तमान राजस्व नक्शे में रकबा बरारी अनुसार अंकिक नहीं किया गया है।
2. कि खसरा संख्या 138, 746/138 एवं 747/138 का तितम्मा वर्तमान राजस्व नक्शे में कब्जा अनुसार अंकित किया गया है।
3. प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के हाल खसरा संख्या 138 रकबा 28. 1580 है0, 746/138 रकबा 06.8716 है0 व खसरा संख्या 747/138 रकबा 20.1857 है0 का तितम्मा की रकबा बरारी अनुसार तरमीम संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1844 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1844 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1844 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1844 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested